इस्पात मंत्रालय

मांग संख्या 88

इस्पात मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	68.19	68.19	...	321.71	321.71	...	68.31	68.31
पूंजी		*12.00*	*2.00*	*14.00*	*12.00*	*208.12*	*220.12*	*11.00*	*2.00*	*13.00*
जोड़		**12.00**	**70.19**	**82.19**	**12.00**	**529.83**	**541.83**	**11.00**	**70.31**	**81.31**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	6.59	6.59	...	6.54	6.54	...	8.04	8.04
लौह और इस्पात उद्योग										
2 सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
2.01 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	6852	...	...	...	...	61.11	61.11	...	...	...
2.02 बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	6852	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
2.03 भारत रिफ्रैक्टरीज लि.	6852	...	...	...	...	145.00	145.00	...	...	...
	जोड़	*...*	*2.00*	*2.00*	*...*	*208.11*	*208.11*	*...*	*2.00*	*2.00*
3. सब्सिडी										
3.01 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए जुटाए गए ऋणों के संबंध में हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को सब्सिडी	2852	...	35.00	35.00	...	86.40	86.40	...	33.12	33.12
3.02 गारण्टी शुल्क माफ करने के लिए हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को सब्सिडी	2852	...	0.92	0.92	...	6.60	6.60	...	0.92	0.92
3.03 गारंटी फीस की माफी के लिए स्पंज आयरन इण्डिया लि. को सब्सिडी	2852	...	...	...	...	0.54	0.54	...	0.30	0.30
3.04 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों के संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण को ब्याज सब्सिडी	2852	...	18.60	18.60	...	28.53	28.53	...	18.60	18.60
3.05 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों के संबंध में मैकान को ब्याज सहायता	2852	...	3.47	3.47	...	3.47	3.47	...	3.47	3.47
	Total	*...*	*57.99*	*57.99*	*...*	*125.54*	*125.54*	*...*	*56.41*	*56.41*
4. सार्वजनिक उद्यमों को स्वै. सेवानिवृत्ति हेतु सहायता अनुदान										
4.01 इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	2852	...	...	...	...	186.00	186.00	...	...	...
5. सरकारी उद्यमों में निवेश	6852	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	11.00	...	11.00
6. भारत रिफ्रैक्टरीज की पुनरुद्धार योजना के संबंध में लेखाकरण समायोजन										
6.1 ऋण का इक्विटी में रूपान्तरण	4852	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...
7. अन्य कार्यक्रम	2852	...	3.61	3.61	...	3.63	3.63	...	3.86	3.86
कुल जोड़		**12.00**	**70.19**	**82.19**	**12.00**	**529.83**	**541.83**	**11.00**	**70.31**	**81.31**
ग. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
5.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	12852	...	500.00	500.00	...	350.00	350.00	...	600.00	600.00
5.02 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	12852	...	55.00	55.00	...	62.00	62.00	...	227.00	227.00
5.03 स्पंज आयरन इंडिया लि.	12852	...	5.00	5.00	...	4.75	4.75	...	5.00	5.00
5.04 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	12852	4.00	5.00	9.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
5.05 भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	12852	5.00	8.00	13.00	5.00	...	5.00	5.00	2.00	7.00
5.06 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	12852	...	527.05	527.05	...	834.45	834.45	...	481.55	481.55
5.07 कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि.	12852	...	133.00	133.00	...	119.68	119.68	...	30.00	30.00
5.08 मैगनीज ओर इंडिया लि.	12852	...	32.50	32.50	...	21.76	21.76	...	26.75	26.75
5.09 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज	12852	1.00	2.45	3.45	1.00	...	1.00	1.00	1.50	2.50
5.10 मैकान लि.	12852	2.00	2.00	4.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
5.11 एम एस टी सी लि.	12852	...	20.00	20.00	...	63.48	63.48	...	5.00	5.00
5.12 फेरो स्क्रैप निगम लि.	12852	...	12.00	12.00	...	13.61	13.61	...	11.50	11.50
5.13 अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन	12852	...	95.00	95.00	...	95.00	95.00	...	60.00	60.00
जोड़		**12.00**	**1397.00**	**1409.00**	**12.00**	**1564.73**	**1576.73**	**11.00**	**1450.30**	**1461.30**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. लोहा और इस्पात	12852	12.00	1397.00	1409.00	12.00	1564.73	1576.73	11.00	1450.30	1461.30

1. **सचिवालय -** इसमें इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना भिन्न ऋण :

(क) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीजः यह प्रावधान कंपनी के संसाधनों में अंतराल को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेडः यह प्रावधान बकाया सांविधिक देय राशियों के भुगतान के लिए है।

(ग) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेडः यह प्रावधान कंपनी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना(वीआरएस)के कार्यान्वयन के लिए है,जैसा कि वीआरएल के पुनरुद्धार पैकेज के अन्तर्गत प्रावधान है।

3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सब्सिडियांः

3.01 और 3.02 **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंट्रक्शन लिमिटेडः**

(i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी आर एस) के क्रियान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए।

(ii) भारत सरकार द्वारा नकदी ऋण और बैंक गारंटी के लिए दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क की माफी के लिए।

3.03 **भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. :** भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क की माफी के लिए।

3.04 **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेडः**

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर 50% ब्याज सब्सिडी की अदायगी के लिए।

3.05 **मेकॉन लिमिटेडः**

वी.आर.एस. के लिए कम्पनी द्वारा लिए गए ऋण पर 50% ब्याज की अदायगी के लिए।

4. वीआरएस के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुदान सहायताः

यह प्रावधान भारतीय लौह और इस्पात कंपनी (आईआईएससीओ) के कुल्टी निर्माणकार्य के कार्यान्वयन के लिए किया गया है।

5. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेशः** इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न कार्यशील पूंजी स्कीम कार्यान्वित करने के लिए इन उद्यमों को इक्विटी निवेश और ऋण के रूप में बजटीय सहायता दी जाती है। इन उद्यमों के बजट समर्थन की इक्विटी और ऋणवार ब्यौरे और आ.ब.बा.स. व्यय बजट खण्ड-I में दर्शाये गए हैं।

6. भारत रिफेक्ट्रीज लिमिटेड की पुनरूद्धार योजना के संबंध में लेखाकरण समायोजनः

इक्विटी में 97.89 करोड़ रुपए की राशि के बकाया ऋणों के परिवर्तन के लिए सांकेतिक प्रावधान।

7. **अन्य कार्यक्रमः** इसमें मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय,लौह और इस्पात विकास आयुक्त,कोलकाता पर होने वाला स्थापना व्यय और प्रख्यात धातु विज्ञानियों को वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कारों पर होने वाला व्यय शामिल है।

इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमः

5.01 **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेडः** इसके नियंत्रणाधीन बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और सालेम स्टील प्लांट और दुर्गापुर में अलॉय स्टील संयंत्र छह मुख्य इस्पात संयंत्र हैं। इंडियन आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड (आई.आईएस.सी.ओ.) जिसके स्वामित्वाधीन बर्नपुर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है और महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉसमेल्ट लिमिटेड,जो फेरो-मिश्रधातु का उत्पादन करने में लगी है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की दो सहायक कंपनियां है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों/एककों तथा इसकी सहायक कम्पनियों का आयोजनागत परिव्यय आन्तरिक तथा अतिरिक्त, बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

(i) **बोकारो इस्पात संयंत्रः** इसके अन्तर्गत आने वाली मुख्य स्कीमें हैं:- कोक अवन बैटरी नं0 5 का पुनर्निर्माण,आधुनिकीकरण योजना और अन्य चालू,पूरी, हुई, परिवर्धन/आशोधन/प्रतिस्थापन(एएमआर) स्कीम।

(ii) **भिलाई इस्पात संयंत्रः** इसके परिव्यय में लंबी रेल सुविधाओं,परिवर्धन/आशोधन/प्रतिस्थापन स्कीमों पर होने वाला व्यय और समाप्त हुई स्कीमों की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(iii) **राउरेकला इस्पात संयंत्रः** इस परिव्यय में ईआरडब्ल्यूपीपी का उन्नयन,कोक अवन बैटरी नं0 1 का पुनर्निर्माण, उत्पादन इकाइयों और अन्य चालू तथा एएमआर स्कीमों के लिए कच्ची सामग्री निवेशों की गुणवत्ता के सुधार सहित आधुनिकीकरण शामिल है।

(?=) **दुर्गापुर इस्पात संयत्रः** इसके परिव्यय के अधीन आने वाली मुख्य स्कीमें हैंः वायर रोडमिल और एक्सहास्टर नं0 3 । किया जाने वाला अन्य व्यय पुराने और खराब उपस्करों के प्रतिस्थापन और प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता उत्पादों और विभिन्न इकाइयों की उत्पादकता में सुधार प्राप्ति ऊर्जा संरक्षण में सुधार उत्पादन की लागत में कमी और वातावरण प्रदूषण में कमी करने के लिए है।

(=) **मिश्र धातु इस्पात संयंत्रः** परिव्यय में चालू योजनाओं के लिए व्यय और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(=?) **सलेम इस्पात संयंत्रः** परिव्यय में जारी स्कीमों और पूर्ण स्कीमों की संविदा समाप्ति के लिए किया गया शेष भुगतान शामिल है।

(=??) **विश्वेसरिया लौह और इस्पात संयंत्र :** परिव्यय में जारी स्कीमों पर किया गया व्यय और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए किया गया व्यय शामिल है।

(=???) **भारतीय लौह और इस्पात क. लि.:** प्रावधान स्लिट रोलिंग सुविधा की संस्थापना जैसी चालू योजनाओं और कोयला-खानों और खानों सहित अन्य योजनाओं के लिए है।

(ix) **महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉस्मेल्ट लिमिटेडः** प्रावधान 4.2 मेगावाट कैप्टिव विद्युत संयंत्र और चालू तथा अन्य योजनाओं के लिए है।

5.02 **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड(आरआईएनएल):** यह पूर्व सोवियत संघ के तकनीकी व वित्तीय सहयोग से भारत में स्थापित किया गया तट पर बसा पहला कारखाना है। परियोजना की सभी इकाईयां जुलाई 1992 तक स्थापित की जा चुकी हैं। इस्पात संयंत्र की अन्तिम लागत 8529.13 करोड़ रुपए मंजूर की गई थी। परिव्यय कोक अवन बैटरी नं.4,कोल्ड जस्ट, इंजैक्शन प्रणाली जारी योजनाओं, संवर्द्धन, संशोधन/प्रतिस्थापन और, टाउनशिप के लिए किया गया है।

5.03 **स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एस.आई.आई.एल.):** स्पंज आयरन संयंत्र लम्प लौह अयस्क से स्पंज आयरन बनाने के लिए 100% गैर-कुकिंग कोयला उत्पादन की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए यूएनडीपी/यूएनआईजीओ की सहायता स्थापित किया गया था। यह परिव्यय पुरानी मशीनों के संवर्धन संशोधन और प्रतिस्थापन टाउनशिप और अनुसंधान व विकास के लिए है । कोई बजटीय सहायता नहीं मांगी गई है।

5.04 **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेडः** यह कम्पनी आधुनिक इस्पात कारखाने और इस्पात क्षेत्र से बाहर की परियोजनाओं का सम्पूर्ण निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1964 में निगमित की गई थी । प्रावधान विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्य आरम्भ करने के लिए निर्माण उपस्करों की खरीद और मौजूदा उपस्कर/मशीनरी को सुधारने तथा संबंधित पूंजी व्यय के लिए है। परियोजना विभिन्न स्थलों पर चल रहे कार्य को पूरा करने के लिए उपकरणों, मशीनरी की खरीद तथा पूंजीगत व्यय के लिए, प्रावधान रखा गया है। कुल आयोजना परिव्यय बजटीय सहायता से पूरा किया जाना है।

5.05 **भारत रिफ्रेक्ट्रीज़ लिमिटेड(बी.आर.एल):** इसके नियंत्रण में चार एकक हैंः भंडारीदाह रिफ्रेक्ट्रीज़ संयंत्र, रांची रोड रिफ्रेक्टरी संयंत्र, भिलाई रिफ्रेक्ट्रीज़ संयंत्र तथा आई. एफ.आई.सी.ओ. रिफेक्ट्रीज संयंत्र । प्रावधान परिवर्द्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) के लिए किया गया है जिसे कंपनी द्वारा और आंशिक रूप से बजटीय सहायता से पूरा किया जाना है।

5.06 **राष्ट्रीय खनिज विकास निगम(एन.एम.डी.सी.):** यह देश में लौह-अयस्क और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह अनेक अन्य खनिजों जैसे डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैगनेसिट, ग्रेफाइट,टंगस्टन और टिन आदि की खोज, विकास और दोहन में रत है। इसके अन्तर्गत एनडीएमसी लौह एवं इस्पात संयंत्र, बेलादिला डिपोजिट 10/11ए और चरण-1 और 2 तथा हिमाचल प्रदेश(एसएस) में चूने के विकास,नई स्कीमों विशेषतः कुमारस्वामी चरण 1 और 2 तथा एएमआर स्कीमों,नगरक्षेत्र,नए उत्पादों/मूल्यवर्धित के लिए अनुसंधान व विकास और भारत तथा विदेश में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण

परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के लिए प्रयत्न किए बिना आंतरिक और बजट-बाह्य स्त्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

5.07 **कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेडः** इसकी स्थापना मुख्य रूप से ईरान को निर्यात के लिए लौह कंसन्ट्रेट अयस्क उत्पादन करने के लिए की गई थी। लौह अयस्क कंसन्ट्रेट को लेने की ईरान की असमर्थता के फलस्वरूप करार के अनुसार, 3 मिलियन टन कंसन्ट्रेटों का प्रयोग करने के लिए एक पेलेट संयन्त्र मई 1981 में अनुमोदित किया गया था। 116.65 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यान्वित परियोजना ने अप्रैल, 1987 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरु किया है। इसमें डक्टाइल आयरन स्पन पाइप परियोजना (संयुक्त उद्यम) ,हासन और मंगलौर के बीच रेल लाइन बिछाने में इक्विटी भागीदारी, पुरानी/खराब मशीनों/ उपस्कर के परिवर्धन/संशोधन/प्रतिस्थापन और अनुसंधान व विकास व्यवहार्यता अध्ययन जैसी योजनाओं को जारी रखने के लिए प्रावधान किया गया है। कोई बजटीय सहायता मांगे बिना आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों से परिव्यय पूरा किया जा रहा है।

5.08 **मैंगनीज़ ओर इण्डिया लिमिटेड (एम.ओ.आई.एल.)ः** यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनी है। यह देश में उच्च श्रेणी के मेंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक कम्पनी है। इसमें बालाघाट में एकीकृत बैनीफिकेशन संयंत्र और डी.बी.खान, कालाघाट आदि में एनजी से बीजी तक रेलवे-साइडिंग का परिवर्तन, एएमआर योजनाओं, टाउनशिप और अनुसंधान और विकास तथा व्यवहार्यता अध्ययन जैसी नई योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। कुल आयोजना परिव्यय को बिना किसी बजटीय सहायता के आंतरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

5.09 **बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीजः** बर्ड ऑफ कंपनीज सरकार द्वारा अक्तूबर, 1980 में अधिग्रहीत मुख्यतः खनन और रिफ्रेक्टरी कार्यों में लगी हुई है। प्रावधान परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) योजनाओं, वनरोपण खर्चों और अयस्क आधारित उद्योगों के लिए किया गया है। परिव्यय आंशिक रूप से बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

5.10 **मैकान लिमिटेड :** यह आईएसओ 9001 के साथ प्रत्याशित किया जाने वाला देश का प्रथम परामर्शदात्री और इंजीनियरी संगठन है। इस कंपनी ने न केवल बेसिक इंजीनियरी, विस्तृत इंजीनियरी, परियोजना प्रबंधन आदि के क्षेत्र में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान की हैं बल्कि फैरस, गैर-फैरस, तेल और गैस, पैट्रोरसायन और अन्य सामान्य उद्योगों के डिजाइन और आपूर्ति में पर्याप्त विशेषज्ञता का भी विकास किया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति के लिए प्रावधान किया गया है। योजना परिव्यय का आंशिक वित्तपोषण बजटीय सहायता से किया जा रहा है।

5.11 **एम.एस.टी.सी. लि.ः** कम्पनी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पन्न होने वाले लौह कबाड़े और अन्य गौण उत्पादों की बिक्री, अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी विभागों से कबाड़े और अधिशेष भंडारों आदि की बिक्री का कार्य करती है। कैनालाइजेशन समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् कंपनी के पास कोई कैनालाइजड मठ नहीं है तथा यह निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता के अन्तर्गत वास्तविक उपयोग कर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार स्क्रेप तथा अन्य वस्तुओं का आयात करती है। इसके अन्तर्गत एसजेके स्टील निगम के साथ संयुक्त उद्यम के लिए व्यवस्था की गयी है। योजना परिव्ययय को कंपनी के आंतरिक और बाह्य बजट संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

5.12 **फैरो स्क्रेप निगम लि. एफ.एस.एन.एल.**ः एमएसटीसी लिमिटेड और मैसर्स हार्सको कारपोरेशन इंक, संयुक्त राज्य अमरीका एफएसएनएल के बीच पहले एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी अब एमएसटीसी लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी हो गई है जिसमें एमएसटीसी द्वारा मैसर्स हार्सको द्वारा धारित 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। कम्पनी बर्नपुर, भिलाई, बोकारो और राउरकेला विजाग और दुर्गापुर में स्थित इस्पात संयंत्र के लौह-चूर्ण और कूड़ा-कर्कट से मिलने वाली कतरनों से पुनःप्राप्ति तथा उस का पुनः संसाधन करती है। ऐसे उपस्कर का नियमित प्रयोग करने के लिए, कंपनी को पुरानी मशीनरी/उपस्कर के परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापनों का आश्रय लेना पड़ा है। योजना परिव्यय को कंपनी के आंतरिक और बाह्य बजट-संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

5.13 **अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी मिशनः** आरएंडटी मिशन इस्पात संयंत्रों, शैक्षिक संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे लौह ओर इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को वित्तपोषित करने का प्रावधान किया जा रहा है और इसे इस्पात विकास निधि से पूरा किया जाना है।